निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
पशुधन भवन, मोथरोवाला, देहरादून– 248001
ई–मेल – dirahuk@gmail.com

पत्र संख्या –1571 वाहन नीलाम–निदेशा0 पत्रा0 /2024–25/दिनांक 15 जुलाई 2024

सार्वजनिक वाहन नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशालय पशुपालन विभाग ,पशुधन भवन मोथरोवाला स्थित निम्न वाहन नीलाम **"जैसा है जहां है** "के आधार पर स्कैप के रूप मे **दिनांक 29 जुलाई 2024 की अपरान्ह 3.00 बजे** किया जाना निश्चित हुआ है। नीलामी की अधिक जानकारी के सम्बन्ध मे मुख्यालय आकर अथवा प्रशासनिक अधिकारी के **मो0न0 7906546077** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

कम संख्या	वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर	मॉडल	न्यूनम राजकीय मूल्य ₹ मे	अरनेस्टमनी (₹) मे	टेण्डर फार्म शुल्क 18 % जी.एस.टी.सहित एवं
1	UTILITY MOTAR CAR Mahendra & Mahendra ACAB रजिस्ट्रेशन न0 **UA048464**	2002	65000.00	1950.00	टेण्डर शुल्क– ₹118.00
2	BOLERO-LMV (CAR)Mahendra & Mahendra BOLELX2WDBS2 रजिस्ट्रेशन न0 **UA07M 9463**	2006	52000.00	1560.00	टेण्डर शुल्क– ₹118.00
3	BOLERO-LMV (JEEP) Mahendra &Mahendra BOLERO रजिस्ट्रेशन न0 **UA07S-2341**	2007	52000.00	1560.00	टेण्डर शुल्क– ₹118.00
4	AMBESDER-CAR PETROL रजिस्ट्रेशन न0 UA07M9381	2006	37000.00	1110.00	टेण्डर शुल्क– ₹118.00

उपरोक्त वाहनो के सीलबन्द भाव के टेण्डर **दि0 29 जुलाई 2024 की अपरान्ह 230 बजे तक** आमन्त्रित किये जाते है। जिनको उसी **दिन अपरान्ह 3.00 बजे** विकय समिति के समक्ष खोले जायेगे। इसके साथ ही यह भी सूचित होंवे कि अंकित भाव कार्यालय से कय किये गये टेण्डर फार्म पर ही स्वीकार्य होगा। इसके साथ ही टेण्डर द्वारा प्राप्त भाव न्यूनतम् पाये जाने पर विकय समिति को उन टेण्डर दाताओं जिनके द्वारा कार्यालय से कय किये टेण्डर फार्म पर भाव अंकित कर टेण्डर बॉक्स मे डाले गये है उन्हीं से राजकीय हित मे राजस्व अधिक मिलने की सम्भावना को देखते हुये खुली बोली करायी जा सकती है जिसमे किसी टेण्डर दाता का कोई ऐतराज स्वीकार नही होगा।

कमशः 02 पर

निदेशक
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुधन भवन, मोथरोवाला, देहरादून– 248001
ई–मेल – dirahuk@gmail.com

पत्रांक 1580 /वाहन नीलाम –निदेशा0प0पा0/2024–25/दिनांक 15 जुलाई 2024

वाहन नीलामी सूचना (मेटर)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशालय पशुपालन विभाग ,पशुधन भवन मोथरोवाला स्थित निम्न वाहन नीलाम **"जैसा है जहां है "** के आधार पर स्क्रेप के रूप मे **दिनांक 29 जुलाई 2024 की अपरान्ह 3.00 बजे** किया जाना निश्चित हुआ है तथा टेण्डर फार्म इस तिथि के **अपरान्ह 2.30 बजे तक** ही टेण्डर बॉक्स मे डाले जायेगे। नीलामी की अधिक जानकारी के सम्बन्ध मे मुख्यालय आकर अथवा प्रशासनिक अधिकारी के **मो0न0 7906546077** पर सम्पर्क किया जा सकता है। टेण्डर फार्म उक्त तिथि को **अपरान्ह 2.00 बजे** तक नकद भुगतान पर प्राप्त कर सकते है ।

क्र0 सं0	वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर	मॉडल	न्यूनम राजकीय मूल्य ₹ मे	अरनेस्टमनी एवं टेण्डर फार्म शुल्क ₹ मे
1	UTILITY MOTAR CAR Mahendra & Mahendra ACAB रजिस्ट्रेशन न0 **UA048464**	2002 डीजल	65000.00	अरनेस्टमनी –1950.00 टेण्डर शुल्क–118.00
2	BOLERO-LMV (CAR)Mahendra & Mahendra BOLELX2WDBS2 रजिस्ट्रेशन न0 **UA07M 9463**	2006 डीजल	52000.00	अरनेस्टमनी– 1560.00 टेण्डर शुल्क–118.00
3	BOLERO-LMV (JEEP) Mahendra &Mahendra BOLERO रजिस्ट्रेशन न0 **UA07S-2341**	2007 डीजल	52000.00	अरनेस्टमनी 1560.00 टेण्डर शुल्क–118.00
4	AMBESDER-CAR PETROL रजिस्ट्रेशन न0 UA07M9381	2006 पेट्राल	37000.00	अरनेस्टमनी – 1110.00 टेण्डर शुल्क118.00

अतः यह भी सूचित होंवे कि उपरोक्त प्रत्येक वाहन का टेण्डर फार्म अलग–अलग कय किया जा जायेगा तथा अरनेस्ट मनी एवं टेण्डर फार्म शुल्क कार्यालय मे नकद अथवा निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के नाम देहरादून मे देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप मे जमा कराना अनिवार्य है। टेण्डर द्वारा उचित भाव प्राप्त न होने पर विकय समिति को उन टेण्डर दाताओं, जिनके द्वारा कार्यालय से कय किये टेण्डर फार्म पर भाव अंकित कर टेण्डर, बॉक्स मे डाले गये है उन्हीं से राजकीय हित में अधिक राजस्व मिलने की सम्भावना को देखते हुये खुली बोली करायी जा सकती है जिसमे किसी टेण्डर दाता/बोली दाता की कोई आपत्ति स्वीकार नही होगी। तथा नीलामी की शर्ते सम्बन्धित कार्यालय की बेबसाईट **www.ahd.uk@gov.in** पर देखी जा सकती है ।

(डा0 नीरज सिंघल)
निदेशक

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

नीलामी शर्तेः–"

1– निष्प्रोज्य वाहन **"जैसा है जहां है "**के आधार पर नीलाम किये जायेगे ।

2– टेण्डर के भाव स्वीकृत होने पर कुल भाव राशि का **25 प्रतिशत** धनराशि तत्काल नकद रूप से कार्यालय मे जमा करानी होगी जिसकी प्राप्ती रसीद श्री राजेन्द्र सिंह सोनाल प्रधान सहायक द्वारा टेण्डरदाता/बोलीदाता को प्रदत्त की जायेगी, तथा शेष धन राशि नीलामी की तिथि से **आगामी 05 दिवस** के भीतर जमा करायी जानी आवश्यक है ।इसके साथ ही नीलाम किये गये वाहन को स्वंय के व्यय पर मुख्यालय से बाहर निकालना आवश्यकीय होगा, समय पर अवशेष राशि जमा न किये जाने की दशा मे राजकीय हित मे जमा अरनेस्ट मनी एवं 25 प्रतिशत जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी जिसमे टेण्डरदाता/बोली दाता का किसी प्रकार का ऐतराज मान्य नही होगा ।

3– नीलामी स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं तिथि बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा इसमे किसी भी प्रकार का विवाद होने पर निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा ।

4– प्रत्येक निष्प्रोज्य वाहन का टेण्डर फार्म अलग–अलग कय करते हुये प्रत्येक वाहन के सापेक्ष अरनेस्टमनी नगद/अथवा ड्राफ्ट "जो निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड .के नाम देहरादून मे देय हो " के रूप से उक्तानुसार कार्यालय मे जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

5– टेण्डर फार्म **दिनांक 29 जुलाई 2024 की अपरान्ह 2.00 बजे** तक उक्तानुसार भुगतान पर प्राप्त किये जा सकते है ।

6– सील बन्द टेण्डर भाव उचित प्रतीत न होने की दशा मे विकय समिति का अधिकार सुरक्षित होगा कि जिन टेण्डरदाताओ द्वारा टेण्डर डाले गये है उन्ही से राजकीय हित मे राजस्व अधिक मिलने की सम्भावना को देखते हुये खुली बोली करायी जा सकती है जिसमे किसी टेण्डरदाता का कोई ऐतराज मान्य नही होगा।

7– नीलाम किये वाहन के कुल स्वीकृत भाव पर जी0एस0टी0 नियमानुसार टेण्डरदाता/बोलीदाता को अतिरिक्त देना होगा।

8– नीलाम किये जाने वाले उक्त वाहनो को किसी भी कार्य दिवस मे निदेशालय पशुपालन विभाग पशुधन भवन मौथरोवाला देहरादून पर आकर देखा जा सकता है।

9– निष्प्रोज्य वाहन का नीलाम अनुमानित भार एवं अनुमानित बाजार भाव के अनुसार कियाजायेगा

10– निष्प्रोज्य उक्त संदर्भित वाहनो का नीलाम स्केप के रूप ही किया जायेगा जिसका चालन करना पूर्ण रूप से अवैध/प्रतिबन्धित होगा तथा नीलाम किये गये वाहनो के साथ रजिस्ट्रेशन पत्र (आर0सी0) नही दी जायेगी। यदि स्वीकृत भाव टेण्डर दाता उक्त निष्प्रोज्य नीलाम किये गये वाहन का अवैध रूप से चालन करता है उसके सम्बन्ध मे जो भी जोखिम होगी उसका वहन वह स्वंय करेगा जिसमे इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नही होगा ।

11– नीलामी के समय मुख्यालय के अन्दर किसी प्रकार का असलाह एवं हथियार लाना पूर्ण रूप से निषेध रहेगा। यदि किसी के पास उक्त सामग्री पायी जाती है तो उसकी सूचना विभाग द्वारा तत्काल पुलिस को दे दी जायेगी जिसके विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जा सकती है ।

12– नीलामी के समय टेण्डर दाताओं का उपस्थित होना आवश्यक है। यदि अनुपस्थित टेण्डर दाता के भाव उच्च प्राप्त होते है उससे दूरभाष पर सम्पर्क न होने की दशा मे उसको निरस्त करते हुये द्वितीय भाव वाले उपस्थित टेण्डरदाता/बोलीदाता को नीलामी का अवसर प्रदान किया जायेगा जिसमे प्रथम अधिक भाव वाले अनुपस्थित टेण्डर दाता का किसी प्रकार का ऐतराज मान्य नही होगा।

कमशः 03 पर

निदेशक
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz

13– टेण्डर फार्म किसी भी कार्य दिवस मे स्वंय या प्रतिनिधि के माध्यम से नियत तिथि/समय पर कय किये जा सकते है । टेण्डर फार्म की राशि वापस नही होगी ।

14– वाहन के वजन के सम्बन्ध मे जानकारी निदेशालय पशुपालन देहरादूनसे किसी भी कार्य दिवस मे प्राप्त की जा सकती है बाद मे इस सम्बन्ध मे किसी कार का ऐतराज मान्य नही होगा।

15– शर्तो मे किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसमे नीलामी से पूर्व संशोधन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

16– राजकीय निर्धारित मूल्य से उचित अधिक भाव प्राप्त होने पर ही टेण्डर भाव एवं बोली भाव मान्य होगे।

17– टेण्डर फार्म के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति स्वः प्रमाणित लगायी जानी आवश्यक ।

(डा० नीरज सिंघल)
निदेशक

पत्रांक 1579 / वाहन नीलाम –निदे० प०पा० पत्रा० /2024–25/ दिनांक 15 जुलाई 2024

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– डा० नारायण सिंह नेगी सुयंक्त निदेशक /अध्यक्ष वाहन नीलाम कमेटी निदेशालय पशुपालन देहरादून इस निर्देश के साथ कि नियमानुसार अपनी देख–रेख मे उक्त वाहनो की नीलामी कराना सुनिश्चित करे ।

2– डा० रमेश सिंह नितवाल , रजिस्ट्रार प०चि०अ० दे०दून/सदस्य– वाहन नीलाम कमेटी निदेशालय पशुपालन विभाग देहरादून को इस आशय से कि कृपया उक्तानुसार वाहनो की नीलामी कराने का कष्ट करे ।

3– डा० अमित राय, उप निदेशक (नियोजन) /सदस्य– वाहन नीलाम कमेटी निदेशालय पशुपालन देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार वाहनो की नीलामी कराना सुनिश्चित करे ।

4– वरिष्ठ वित्त अधिकारी/सदस्य– वाहन नीलाम कमेटी ,निदेशालय पशुपालन विभाग देहरादून को इस आशय से कि कृपया उक्त तिथि को अपनी अथवा अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति मे निष्प्रोज्य वाहनो की नीलामी कराने का कष्ट करे ।

5– जिलाधिकारी देहरादून ।

6– थानाध्यक्ष , नेहरू कॉलोनी देहरादून को इस आशय से कि कृपया उक्त तिथि को शांति व्यवस्था हेतु पुलिस की व्यवस्था करने का कष्ट करे ।

7– सम्भागीय परिवहन अधिकारी देहरादून एवं हल्द्वानी नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित ।

8– (डाक से) मैसर्स /श्री नाम ....

9– श्री राजेन्द्र सिंह सोनाल प्रधान सहायक निदेशालय पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त वाहनो से सम्बन्धित टेण्डर फार्म श्री राजकुमार सिंह प्रशासनिक अधिकारी यू०एल०डी०बी० मुख्यालय से प्राप्त कर, समय से विकय करेगे इसके साथ ही टेण्डर दाताओ से जो टेण्डर शुल्क, अरनेस्टमनी एवं टेण्डर स्वीकृत होने पर 25 % प्राप्त धनराशि राशि विभाग के सुसंगत खाते मे जमा कराना सुनिश्चित करेगे।

10– नोटिस बोर्ड , तहसील देहरादून, निदेशालय पशुपालन हेतु देहरादून।

(डा० नीरज सिंघल)
निदेशक

Be AatmaNirbhar. Use Kaagaz